

श्री हिरालाल सिंह—क्रेता

—आदेश—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री राम औतार सिंह, पिता-स्व० भवानी सिंह, ग्राम-विन्दा, पोस्ट-भण्डरिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री हिरालाल सिंह, पिता-स्व० भुनेश्वर सिंह, ग्राम-विन्दा, पोस्ट-भण्डरिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 338/दिनांक 05.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री राम औतार सिंह, पिता-स्व० भवानी सिंह, ग्राम-विन्दा, पोस्ट-भण्डरिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री हिरालाल सिंह, पिता-स्व० भुनेश्वर सिंह, ग्राम-विन्दा, पोस्ट-भण्डरिया, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
विन्दा	169	पुराना-08 नया-33	पुराना-137 नया-595	0.12	उ०-नीज विक्रेता, द०-रामफल सिंह, पु०-सहदेव सिंह, प०-नीजू विक्रेता,
कुल रकबा-				0.12	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता  
गढ़वा



अपर समाहर्ता  
गढ़वा